न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 130/2014

सायल :-

1. सोहनगिरी पुत्र बचनगिरी
उम्र 60 वर्ष जाति-गोस्वामी,
निवासी-राणीवाल, तहसील-जैतारण,
जिला-पाली (राजस्थान)

बनाम

गैरसायलान :-

1. सोमगिरी पुत्र बचनगिरी
2. जिमनाई पुत्री बचनगिरी
3. लाबूगिरी पुत्र शंकरगिरी
4. बगदगिरी पुत्र लेहरगिरी
5. गोपगिरी पुत्र लेहरगिरी
6. मैना पत्नी लहरगिरी
7. धनगिरी पुत्र भोलगिरी
8. जीवनगिरी पुत्र भोलगिरी
   जातियान - गोस्वामी,
   निवासीगण - राणीवाल
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली
9. तहसीलदार एवं उप पंजीयन
   अधिकारी जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू:.16.07.2014

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, सायल।
2. श्री किशोरकुमार कुमावत एवं श्री चावण्डदान बारहठ अधिवक्ता, गै0सा0

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 22/05/2015**

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-राणीवाल, पटवार हल्का-बैडकला, तहसील-जैतारण में सायल एवं गैरसायलान की शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 311 रकबा 0-07 गैर मुमकिन सेरिया, खसरा नम्बर 312 रकबा 0-01 गैर मुमकिन नाडा, खसरा नम्बर 313 रकबा 0-11 गैर मुमकिन बेरा निम्बडिया, खसरा नम्बर 314 रकबा 130 बीघा चाही दोयम कुल खरा 04 कुल रकबा 130-19 बीघा की भूमि की आई हुई हैं। जिसमें सायल के पिता बचनगिरी का 1/3 वां हक हिस्सा व अधिकार था। शेष भूमि दिगर हिस्सेदारों की हैं। बचनगिरी के तीन पुत्र ओगडगिरी, सोमगिरी, व सोहनगिरी हुए जिनमें से ओगडगिरी व उनकी पत्नी बिदामीदेवी निसंतान फौत हो गए है। इस प्रकार से बचनगिरी जी के हक हिस्से की भूमि में 1/2 वां हिस्सा सायलन सोहनगिरी का हैं। यानि कुल भूमि का 1/6 वां हिस्सा सायल सोहनगिरी का हैं। इसी प्रकार गैरसायलान सोमगिरी का इस भूमि में 1/6 वां हक हिस्सा है इसी प्रकार मौजा राणीवाल में ही खसरा नम्बर 328 रकबा 04-04 बीघा की भूमि आई हुई है।। जिसमें सायल सोहनगिरी का 1/2 वां हिस्सा हैं व गैरसायलान सोमगिरी का 1/2 वां हिस्सा हैं। इसी माफिक सायल व गैरसायलान इस भूमि के काबिज खातेदार काश्तकार हैं। नकल चालू जमाबंदी इस आराजी की प्रार्थना पत्र के पेश की हैं। इस आराजी को प्रार्थना पत्र में आगे विवादित

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

आराजी के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। विवादित भूमि सायल व गैरसायलान की संयुक्त व शामलाती थी। जिसका अभी तक बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाडा नहीं हुआ हैं। उक्त विवादित भूमि की प्रत्येक इंच हिस्से व भूभाग पर सायल को क्रमश 1/6 वां हिस्सा व खसरा नम्बर 328 की भूमि में 1/2 वां हक हिस्सा व अधिकार प्राप्त हैं। मौके पर सायल का कब्जा व काश्त भी हैं व इसी माफिक पक्षकारों के बीच आप आपसी सहमति से बंटवाडा भी हो रखा हैं। लेकिन अब गैरसायलान संख्या एक सोमगिरी आये दिन बंटवाडा को लेकर वाद विवाद व झगडा कर रहा हैं। सायल ने कई बार गैरसायलान से बंटवाडा कराने का कहा, लेकिन गैरसायलान संख्या एक सोमगिरी टालमटोल कर रहा हैं। तथा दिनांक 13/07/2014 गैरसायलान सोमगिरी ने इस संयुक्त शामलाती भूमि का बंटवाडा करवाने से ईन्कार कर दिया हैं। सायल अपने हक हिस्से की भूमि पर काली मिटटी जिप्सम आदि डालकर उसको उपजाऊ बनाकर काश्त करना चाहता है। जिसमें गैरसायलान बाधा व अड़चन पैदा कर रहे हैं। सायल को अपने हक हिस्से की भूमि पर बैक से साख पत्र बनवाने हेतु भी विवादित भूमि का बंटवाडा आवश्यक हैं। लेकिन गैरसायलान सोमगिरी द्वारा नहीं मानने एवं आराजी के बंटवाडा को लेकर के वाद विवाद भी करने के अलावा विषम परिस्थितियों में यह प्रार्थना पत्र बाबत बंटवाडा पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं। विवादित भूमि सायल व गैरसायलान की संयुक्त व शामलाती हैं। जिसका बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाडा नहीं हुआ है। लेकिन मौके पर आपसी सहमति से बंटवाडा हो रखा हैं। जिसको गैरसायलान सोमगिरी नहीं मान रहे हैं एवं जबरदस्ती लाठी लकडी के बल पर सायल के हक हिस्से की कृषि भूमि मे बाधा व अडचन पैदा कर रहे हैं तथा सम्पूर्ण भूमि अकेले ही दबा लेना चाह रहे हैं। इस प्रकार से गैरसायलान सोमगिरी व उसके परिवार वाले विधिक प्रावधानों से परे जाकर सायल के कब्जा काश्त में बाधा व अडचन कर रहे हैं। तथा भूमि पर जाने का रास्ता भी अवरुद्ध कर रहे है, दिनांक 13/07/2014 को गैरसायलान संख्या एक सोमगिरी ने सायल को एलानिया कथन किया कि इस वर्ष सम्पूर्ण भूमि वह अकेले ही बोयेगे। जबकि इस सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा करने व फसल बोने का गैरसायलान संख्या एक सोमगिरी व अन्य को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है न ही विशिष्ट भूभाग का कब्जा की गैरसायलान अधिकारी हैं। फिर भी यदि गैरसायलान ऐसा दुष्कृत्य करने में सफल हो जाते हैं तो सायल अपनी पैतृक पुश्तैनी भूमि से हमेशा हमेशा के लिये वंचित हो जायेगा। जिससे सायल को अपूरणीय क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं होगी। सायल गैरसायलान के ऐसे अवैध कृत्यों का विरोध करेगा जिससे विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में सायल के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं। समस्त तथ्यों परिस्थितियों व दस्तावेजात एवं मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर सायल का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी सायल के पक्ष में प्रमाणित हैं। यदि गैरसायलान जबरदस्ती सायल के हक हिस्से की भूमि में दखलन्दाजी व हस्तक्षेप व आधा अडचन पैदा करते हैं या सायल के हक हिस्से की भूमि का जरिये रहन, बेचान के अन्य हस्तान्तरण कर देते हैं, तो सायल को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी एवं होने वाली क्षति का मूल्यांकन मुद्रा में नही

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

आंका जा सकता हैं। इसलिए सुविधा का संतुलन भी बखूबी सायल के पक्ष में गणित हैं।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गै0सा0 संख्या 1, 2 व 8 की ओर से वकालतनामा श्री किशोरकुमार कुमावत एवं गै0सा0 संख्या 5 से 7, 3 की ओर से श्री चावण्डदान बारहठ ने पेश किया गया, जो सा0मि0 हैं। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बैंड़कला में पेश हुई। गै0सा0 जबाब पेश करने का समय चाहाते हैं। बार-बार समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। सायल के कब्जे काश्त की उक्त भूमि में गै0सा0 को किसी विशिष्ट भू-भाग का विक्रय, हस्तान्तरण न करने हेतु अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 16/07/2014 को पाबन्द किया गया था।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व मौजा-राणीवाल, पटवार हल्का-बैडकला, तहसील-जैतारण में सायल एवं गैरसायलान की शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 311 रकबा 0-07 गैर मुमकिन सेरिया, खसरा नम्बर 312 रकबा 0-01 गैर मुमकिन नाडा, खसरा नम्बर 313 रकबा 0-11 गैर मुमकिन बेरा निम्बडिया, खसरा नम्बर 314 रकबा 130 बीघा चाही दोयम कुल खरा 04 कुल रकबा 130-19 बीघा भूमि में सायल की कब्जे काश्त की भूमि में से किसी विशिष्ट भू-भाग का विक्रय हस्तान्तरण आदि करने से गै0सा0 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 16/07/2014 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 22/05/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बैंड़कला पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

आंका जा सकता हैं। इसलिए सुविधा का संतुलन भी बखूबी सायल के पक्ष में गणित हैं।

सायल का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गै0सा0 संख्या 1, 2 व 8 की ओर से वकालतनामा श्री किशोरकुमार कुमावत एवं गै0सा0 संख्या 5 से 7, 3 की ओर से श्री चावण्डदान बारहठ ने पेश किया गया, जो सा0मि0 हैं। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बैंड़कला में पेश हुई। गै0सा0 जबाब पेश करने का समय चाहाते हैं। बार-बार समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। सायल के कब्जे काश्त की उक्त भूमि में गै0सा0 को किसी विशिष्ट भू-भाग का विक्रय, हस्तान्तरण न करने हेतु अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से दिनांक 16/07/2014 को पाबन्द किया गया था।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व मौजा-राणीवाल, पटवार हल्का-बैडकला, तहसील-जैतारण में सायल एवं गैरसायलान की शामलाती खातेदारी व कब्जा काश्त की जमीन खसरा नम्बर 311 रकबा 0-07 गैर मुमकिन सेरिया, खसरा नम्बर 312 रकबा 0-01 गैर मुमकिन नाडा, खसरा नम्बर 313 रकबा 0-11 गैर मुमकिन बेरा निम्बडिया, खसरा नम्बर 314 रकबा 130 बीघा चाही दोयम कुल खरा 04 कुल रकबा 130-19 बीघा भूमि में सायल की कब्जे काश्त की भूमि में से किसी विशिष्ट भू-भाग का विक्रय हस्तान्तरण आदि करने से गै0सा0 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के आदेश दिनांक 16/07/2014 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 22/05/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-बैंड़कला पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner